

पत्र सं0अपर आयु0(पुलिस)-पु0बल-कार्यमुक्त आदेश माह अगस्त 2022//

समयबद्ध / द्वारा ई-मेल / नोटिस बोर्ड
191 // राज्य कर
कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(पुलिस- कैम्प)
दिनांक :: लखनऊ :: 27 जून, 2022

:- कार्यमुक्त आदेश:-

आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या:443 दिनांक 13-01-2016 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में विभाग के अलग-अलग जोनों में तैनात नीचे उल्लिखित नाम के पुलिस कर्मियों की राज्य कर विभाग में नियमानुसार (02) दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित भिन्न-भिन्न तिथियों में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उनके संबंधित पुलिस विभाग के कार्यालय प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र0 सं0	पुलिस कर्मी का नाम / पदनाम	पुलिस मुख्यालय का आदेश संख्या व दिनांक	(02) दो वर्ष प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने वाली तिथि/गहन जनपद	राज्य कर विभाग में आरक्षी की विगत/वर्तमान तैनाती जोन का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री मनीष कुमार आरक्षी- ना0पु0 P.N.O- 112011970	डीजी-चार-स्था0-24- 2020/37 दि0-15-01-2020	04-08-2022 (दो वर्ष) बिजनौर	अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0 अनु0शा0) राज्य कर, अलीगढ़
2	श्री मोहित सिंह आरक्षी- ना0पु0 P.N.O- 112024983	डीजी-चार-स्था0-24- 2020/37 दि0-15-01-2020	05-08-2022 (दो वर्ष) औरैया	अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0 अनु0शा0) राज्य कर, झांसी / आगरा
3	श्री जुगुल किशोर आरक्षी- ना0पु0 P.N.O- 112350257	डीजी-चार-स्था0-24- 2020/37 दि0-15-01-2020	31-08-2022 (दो वर्ष) उन्नाव	अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0 अनु0शा0) राज्य कर, बरेली

कृपया संबंधित जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर उक्त कालम-4 में माह अगस्त-2022 में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण करने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों को समय से कार्यमुक्त करते हुए कार्यालय प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ हेतु अपने जोन से रवाना करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही की सूचना से अधोहस्ताक्षरी / सर्वसंबंधित को भी अवगत करायेगे। कार्यमुक्ति दिवस के पश्चात यदि कार्य लिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। माह अगस्त-2022 अथवा इससे पूर्व माहों में यदि आपके जोन से कोई पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ के लिए कार्यमुक्त होने से वंचित रह गया है तो आपका यह दायित्व होगा कि आप उस पुलिस कर्मी को चिन्हित / कार्यमुक्त करते हुए उसके नाम / पदनाम / पी0एन0ओ0 नम्बर की सूचना से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ के लिए कार्यमुक्त हो चुके संबंधित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिका / जी0पी0एफ0पास बुक / एल0पी0सी0/ अन्य सेवा सम्बंधी अभिलेखों को अद्यावधिक कराकर सीधे उनके संबंधित (नवीन तैनाती स्थान) के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे।

उपरोक्त पुलिस कर्मियों में से जो आपके जोन से सम्बंधित नहीं हैं तथा अन्य जोन में तैनात हैं, के सम्बंधित तैनाती स्थान के जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर का यह दायित्व होगा कि वह सम्बंधित पुलिस कर्मियों को मुख्यालय द्वारा निर्धारित तिथि से ही कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बंधित सहित अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई0 पी0 एस0,

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्री 28-6-22

1421

पृष्ठांकन पत्रांक व दिनांक: उक्त ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को आयुक्त महोदया के अवलोकनार्थ ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, 30 प्र० लखनऊ ।
- 3- पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 4- अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि० अनु० शा०) राज्य कर अलीगढ़ / आगरा / बरेली ।
- 5- अपर पुलिस अधीक्षक (स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 6- वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक जनपद- बिजनौर / औरैया / उन्नाव ।
- 7- प्रभारी-प्रतिनियुक्त प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 8- संयुक्त आयुक्त (आई० टी०) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।